कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नैनीताल रोड़, हल्द्वानी, पिन कोड़– 263139
(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000
E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाषः–05946–220035

पत्रांक :– 2009 / मार्केटिंग अनुभाग दिनांक :– 24/12/2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541, 423 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार लगाये जाने हेतु नगर निगम के बोर्ड प्रस्ताव के क्रम में निजी बाजार संचालन हेतु उपनियम बनाये गये हैं। अतः नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के अधिसूचित क्षेत्र की परिधि में स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार संचालन के इच्छुक व्यक्ति/व्यवसायियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है से इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम को सम्बोधित करते हुए आपत्ति व सुझाव नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निजी बाजार संचालन उपनियम का अवलोकन नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 तथा नगर निगम की वेबसाइट **www.nagarnigamhaldwani.in** पर किया जा सकता है। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

प्रतिलिपि–

1. महापौर महोदय, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान नैनीताल संस्करण एवं सम्पादक दैनिक उत्तर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 50 वर्ग सेमी0 पठनीय स्पेस में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. प्रांजलि वेंचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय उप जिलाधिकारी हल्द्वानी/कार्यालय तहसीलदार, हल्द्वानी/नगर निगम हल्द्वानी– काठगोदाम के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. श्री मौहम्मद शकील, मार्केटिंग लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपत्ति/सुझाव हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।

नगर. आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं0 05 दिनांक 07.08.2025 के क्रम में नगर निगम सीमान्तर्गत स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन करने हेतु प्रार्थना पत्रों के क्रम में प्रार्थियों को निम्न शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी :–

1. अनुज्ञप्ति 01 (एक) वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी जिसे निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक के द्वारा समय पर अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कराने व अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्णतः पालन किये जाने की दशा में वर्ष–दर–वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।
2. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ निजी बाजार लाईसेंस आंवटन की समस्त शर्तों का पालन करने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र के साथ नोटरीकृत शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निजी बाजार/फूड प्लाजा में व्यवसाय करने हेतु प्रत्येक लघु व्यवसायी (ठेला–फड़ व्यवसायी) को नगर निगम कार्यालय से ट्रेड लाईसेंस/सिटी वेंडिंग कार्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. निजी बाजार/फूड प्लाजा पौलिसी के प्रख्यापित होने के पश्चात नगर निगम द्वारा पूर्व में आवंटित साप्ताहिक हाट बाजारों का आवंटन अतिक्रमित माना जायेगा तथा हाट बाजार आवंटियों द्वारा निजी बाजार/फूड प्लाजा हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
5. उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जायेगा :–
   (1) रू0 10,000/– प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति शुल्क
   (2) प्रति फड/ठेला रू0 40/– प्रतिदिन व फूड वैन से रू0 50/– प्रतिदिन
   (3) रू0 25,000/– की जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 (नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के नाम पर बन्धक)
6. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति सप्ताह में जितने भी दिन बाजार संचालित करने हेतु आवेदन करेगा उतने ही दिनों का शुल्क आगणित करते हुए बाजार संचालक से वसूल किया जायेगा।
7. निजी बाजार/फूड प्लाजा में फूड वैन/कार्ट/ठेला–फड़ आदि को स्थान उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम हेतु 25 प्रतिशत स्थान रिजर्व रखना अनिवार्य होगा जिनसे 01 वर्ष तक नगर निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम रू0 100/– (रू0 सौ मात्र) प्रतिदिन शुल्क लिया जायेगा।
8. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के पश्चात निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक को प्रत्येक 03 (तीन) माह का शुल्क अग्रिम जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक को प्रस्तावित निजी बाजार/फूड प्लाजा स्थल पर आने वाले उपभोक्ताओं हेतु वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध कराना होगा। वाहनों की पार्किंग इस प्रकार से करायी जायेगी जिससे वाहन ट्रैफिक जाम का कारण न बनें।
10. निजी बाजार/फूड बाजार संचालक द्वारा आवंटित स्थल के बाहर कोई भी ठेला/फड़ आदि नहीं लगवाया जायेगा यदि अनुमन्य स्थल के बाहर कोई ठेला–फड़ आदि लगा पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तदायीत्व आवंटी का होगा।
11. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञापी को स्वयं के व्यय पर नगर निगम के साथ निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराना अनिवार्य होगा।
12. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन हेतु आवेदक को फूड़ प्लाजा स्थल का ले–आउट प्लान प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसमें पार्किंग, फूड वैन/फूड कार्ट/फड़/शौचालय आदि स्थापित किये जाने का स्पष्ट प्लान दर्शाया जायेगा।
13. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालनकर्ता को निजी बाजार/फूड प्लाजा स्थल पर जन सुविधाएं यथा पार्किंग, लाईट, शौचालय, साफ–सफाई, व सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर अनिवार्य रूप से की जायेंगी।
14. निजी बाजार/फूड प्लाजा बाजार स्थल की सफाई की व्यवस्था संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर करायी जायेगी। उक्त कार्य में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु नगर निगम का यूजर चॉर्ज (शुल्क) नगर निगम कार्यालय में जमा कराये जाने पर नगर निगम द्वारा कूड़ा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

15. निजी बाजार/फूड प्लाजा में पॉलीथीन/थरमाकॉल/Single use plastic एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। सफाई तथा स्वच्छता के मानकों एवं प्लास्टिक उपयोग सम्बन्धी प्रतिबन्धों के बार–बार उल्लघंन पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

16. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक को बाजार स्थल पर एक साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक का नाम, मोबाईल नंम्बर, बाजार स्थल का क्षेत्रफल, पार्किंग स्थल–शौचालय आदि का चिन्ह व शुल्क सूची अंकित किये जायेंगे।

17. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन अवधि में यदि अधिकृत आवंटी निजी बाजार/फूड प्लाजा नहीं लगाना चाहता है तो इस संबंध में 01 माह का नोटिस (शपथ पत्र) नगर निगम को देना होगा।

18. किसी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा तथा किसी वाद हेतु क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के न्यायलयों में होगा।

19. निजी बाजार/फूड प्लाजा में आगजनी की घटना/अन्य दुर्घटनाओं से निपटने की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा उपकरण व निस्तारण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत संचालक की होगी। इस सम्बंध में प्रार्थी/आवेदक को अग्नि शमन/विद्युत विभाग या अन्य सम्बंधित विभागों से अनापत्ति स्वयं के स्तर से प्राप्त करनी होगी।

20. निजी बाजार/फूड प्लाजा में व्यापारियों/उपभोक्ताओं के मध्य कोई विवाद को स्वयं अथवा पुलिस प्रशासन के माध्यम से निस्तारित कराने की जिम्मेदारी स्वयं संचालक की ही होगी।

21. निजी बाहर/फूड प्लाजा स्थल में कोई भी अवैधानिक कृत्य या व्यवसाय किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा इस सम्बंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने तथा दोषसिद्ध होने पर या औचक निरीक्षण में ऐसी स्थिति पाये जाने पर अनुज्ञप्ति/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

22. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन की शर्तें अनुबंध का भाग होंगी तथा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर या यातायात, जन स्वास्थ्य, औचित्यपूर्ण जन शिकायत, किसी राजकीय विभाग की औचित्यपूर्ण आपत्ति, कानून एवं व्यवस्था आदि के आधार पर किसी भी समय अर्थदण्ड अधिरोपित करने अथवा आवंटन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में निहित होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।